

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-5153222ए 5153223ए 5153660 (आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(1)शिक्षा / ग्रुप-3 / 2020

जयपुर, दिनांक:-18.08.2021


-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.08.2020 द्वारा राज्याधीन किये गये महाविद्यालयों में से महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) को राजकीय महाविद्यालय, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) एवं शहीद रूपाजी कृपाजी राजकीय महाविद्यालय, बेंगू (चित्तौड़गढ़) को राजकीय महाविद्यालय, बेंगू (चित्तौड़गढ़) में विलय करने तथा आईमाता राजकीय महाविद्यालय सोजतसिटी (पाली) को सहशिक्षा से कन्या शिक्षा में परिवर्तित करने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

- (1) महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) एवं शहीद रूपाजी कृपाजी राजकीय महाविद्यालय, बेंगू (चित्तौड़गढ़) के राजकीय महाविद्यालयों में विलय के पश्चात् महाविद्यालय संचालन समितियों की गतिविधियों एवं कार्मिकों के वेतन भुगतान के संबंध में राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।
- (2) इन महाविद्यालयों की संचालन समितियों के प्राध्यापकों/अध्यापकों व अन्य कार्मिकों से राजकीय महाविद्यालय में सीधे कार्य नहीं करवाया जावेगा एवं न ही नियमित भुगतान किया जावेगा। आवश्यकता होने पर राजकीय महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर गेस्ट फेकल्टी के रूप में समितियों में कार्यरत प्राध्यापक/अध्यापकों की सेवायें ली जा सकेंगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102103725 दिनांक 16.08.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(संजय शर्मा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (जी.वी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक:एफ4(162-II)/विधि/आयो/आकाशि/2015-16(पार्टII)/637-656 दिनांक: 18 अगस्त, 2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (जी.बी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ एवं पाली, राजस्थान।
10. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
12. उपखण्ड अधिकारी, सोजतसिटी (पाली), रावतभाटा, बेंगू (चित्तौड़गढ़), राजस्थान।
13. कुल सचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
14. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
15. संयुक्त निदेशक, (एच आर डी/प्रशासन/अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक, अकादमी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है
आदेशानुसार सत्र 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
17. उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
18. संबंधित प्राचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
19. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक, आयोजना,